an>

title: Need to evolve a fair and transparent selection process at national/state level admission to MBBS & MD courses.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के विषय को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे देश में एक व्यवस्था थी, हमारे देश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें प्रवेश के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा एमसीआई द्वारा आयोजित की जाती थी। बाद में, सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रश्न गया और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर एक व्यवस्था दी कि जिस संस्था के लिए प्रवेश परीक्षा होना है यह उनका मौलिक अधिकार है कि वे अपने स्तर से प्रवेश दे या न दें और उनको परीक्षाएं कराने का अधिकार खुद ही है। इस निर्णय पर पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुरानी व्यवस्था ही बहाल की जाएगी तथा इन संस्थाओं द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उसे बंद किया जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एमबीबीएस में प्रवेश के लिए 60 लाख से 80 लाख रुपये तक की कैपिटेशन फीस ली जाती थी और पोस्ट ग्रेजुएट में 3-3 करोड़ तक की राशि उनसे ली गई। इन वर्षों में संस्थाओं ने छात्रों का शोषण किया है जो वास्तव में बड़ी चिंता की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर अपवाद के रूप में पुनर्विचार किया और अपनी गलती को दुरुस्त किया। मेरी सरकार से मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया जाए और जिन छात्रों का शोषण किया गया है और उनसे जो राशि वसूली गई उसे वापस किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही मेरा आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष :

डॉ. किरिट पी. सोलंकी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रोड़मल नागर,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री राघव लखनपाल को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON SPEAKER : DR. MAHENDRA NATH PANDEY - Not present

SHRI KANWAR SINGH TANWAR - Not present